



# उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक /नियामक संस्था)  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)



## विरासत (हेरीटेज) वृक्षों के चयन हेतु

- चयनित प्रविष्टियों में से 03 सर्वोत्तम एकल प्रविष्टि को रु0 4000/- प्रति प्रविष्टि पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। एकल प्रविष्टि से आशय है कि विषयगत वृक्ष, की एकल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो अर्थात् विरासत वृक्ष के रूप में चयनित किए जाने हेतु अन्य किसी प्रतिभागी द्वारा उक्त वृक्ष की प्रविष्टि प्रेषित नहीं की गई हो।
- सर्वोत्तम 03 प्रविष्टियों भेजने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख/आभार प्रकाशित होने वाली कॉफी टेबल बुक में किया जाएगा।
- उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा 'विरासत वृक्ष' घोषित किए जाने पर प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
- प्रविष्टि में वृक्ष का वानस्पतिक व स्थानीय नाम अंकित किया जाए।
- प्रविष्टि में वृक्ष का High Resolution छायाचित्र व संक्षिप्त टिप्पणी भेजी जाए।
- प्रविष्टि उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेल: upstatebiodiversityboard@gmail.com में दिनांक 30.09.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक प्रेषित की जाए।

### चयन के मानक

- वृक्ष लगभग 4 पीढ़ी का हो अर्थात् वृक्ष की आयु 100 (एक सौ वर्ष) से अधिक हो।

#### एवम्

निम्न मानकों में से कोई एक मानक पूर्ण करता हो

- वृक्ष लगभग 4 पीढ़ी का हो अर्थात् वृक्ष 100 वर्ष से अधिक आयु का हो।
- वृक्ष पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परम्पराओं व मान्यताओं से जुड़ हो।
- वृक्ष की सदियों से पवित्र वृक्ष (Sacred grove) के रूप में पूजा की जाती हो।
- वृक्ष विलुप्त हो रही प्रजाति का हो अथवा वृक्ष प्रजाति प्रथम बार पहचानी गयी हो।
- वृक्ष सामुदायिक भूमि पर अवस्थित हो।
- ऐसा वृक्ष जिसकी विशिष्ट विशेषताएं, उस प्रजाति की सामान्य विशेषताओं से भिन्न हो।

उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।